न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 102/2020

श्री मोती पुत्र श्री भारमल गुर्जर, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम हरमाडा, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर

............*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ

...........**रेस्पोन्डेन्ट**

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1975

उपस्थित :–

1. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक–11.02.2022

संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि सम्वत 2076 मे श्री मोती पुत्र श्री भारमल गुर्जर, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर ने ग्राम हरमाडा के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1246 कुल रकबा 0.6310 हैक्टर किस्म बा0सो0 में से 1500 वर्ग फीट भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्की चारदीवारी का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार रूपनगढ के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 03/2020 पंजीबद्ध कर वाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 07.09.2020 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी अक्षेपीय आदेश दिनांक 07.09.2020 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मे उठाये गये बिन्दूओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया जाकर आनन फानन में सरसरी तौर पर आक्षेपीय आदेश

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज किया गया कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर कई वर्षों से काबिज चला आ रहा है। अपीलान्ट पुराने कब्जे के आधार पर एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के आधार पर विवादित आराजी को अपने हक में नियमन करवाने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विवादित आराजी का नियमन कराने का अवसर प्रदान किये बिना साइक्लोस्टाईल किये आदेश में कॉलम की खाना पूर्ति करते हुए एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो आदेश की क्षेणी मे नही आता है। उनका आगे कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व इस विधिक बिन्दु को भी नजरअंदाज किया है कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एक तरफा में अपीलान्ट के पीठ पीछे तैयार की गई है जिसे अपीलान्ट के विरूद्ध साक्ष्य के रूप में नहीं पढा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये आक्षेपीय आदेश पारित करने में भारी विधिक त्रुटि कारित की है। अन्त मे उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है तथा अपीलान्ट बहैसियत अतिक्रमी विवादित भूमि पर काबिज है। अपीलान्ट का यह कथन कि उन्हे सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया जबकि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब नोटिस पेश किया गया है। साथ ही यह कथन कि वे विवादित भूमि पर पुराने समय से सद्भाविक रूप से काबिज है, असत्य है क्योंकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट का अतिक्रमण नया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक अंकित है तथा अपीलान्ट विवादित भूमि पर बहैसियत अतिक्रमी काबिज है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हे सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उन्हे सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है एवं वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे हैं, यह तथ्य उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस से सिद्ध होता है। अपीलान्ट का यह कथन भी गलत है कि विवादित भूमि पर उनका पुराना कब्जा है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। जहां तक अपीलान्ट को विवादित आराजी का नियमन किये जाने का प्रश्न है। अपीलान्ट को यह अनुतोष इस अपील के माध्यम से नहीं दिया जा सकता। प्रार्थी इस हेतु आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष नियमानुसार आवेदन कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है, उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं

समझते हैं। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार रूपनगढ को आदेशित किया जाता है कि अपने आदेश की पालना में विवादित भूमि से अतिक्रमी को बेदखल कर भूमि का कब्जा राज लिया जावे।

आदेश आज दिनांक 11.02.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,अजमेर